न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर
सूचना अधिकार अपील/73/2023

अपीलांट जगदीश चौधरी पुत्र श्री नारणाराम
निवासी श्रीरामवाला, तहसील धनाउ जिला बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी चौहटन

<u>आदेश</u>

दिनांक : 27.06.2023

अपीलार्थी जगदीश चौधरी पुत्र श्री नारणाराम निवासी श्रीरामवाला, तहसील धनाउ जिला बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता उपखण्ड अधिकारी चौहटन के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 14.05.2023 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय पोस्टल ऑर्डरं की प्रति दिनांक 10.03.2023 संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी चौहटन को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा जवाब में अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारणों को पत्र क्रमांक 72 दिनांक 06.04.30 द्वारा प्रकट किया है।

हमने प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा वांछित सूचना हेतु नकल आवेदन किया जा सकता है किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा उक्त दस्तावेज नियम 8 (1) (ञ) व 8 (2) शासकीय गुप्त बात अधिनियम के नियम 19 की उपधारा (1) के अनुसार देय नहीं होना उल्लेखित किया है किन्तु इस से संबंधित कोई अधिसूचना का विवरण अंकित नहीं किया गया है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील आंशिक स्वीकार योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि रेकर्ड की यथा उपलब्धता अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करवाई जावे अन्यथा उसे इस संबंध में सुसंगत [illegible] सूचित किया जाकर प्रार्थना–पत्र का निस्तारण शीघ्र किया जावे। पत्रावली निर्णय समाप्त होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हों।

आदेश आज दिनांक 27.06.2023 को न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arun Kumar Purohit
Date: 2023.07.21 12:26:39 IST
Reason: SelfAttested

(अरूण कुमार पुरोहित)
प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर